अतिमहत्वपूर्ण

संख्या 2600 आर/छः प0-5-1999

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0शासन

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

(पुलिस)अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः- 21 अप्रैल 1999

विषयः शस्त्र लाइसेन्स प्रपत्र-III पर स्वीकृत अनिषिद्ध बोर के आग्नेयास्त्रों की वैधता सीमा उत्तर प्रदेश के आगे बढ़ाया जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।

महोदय,

उपर्युक्त विषय शासनादेश संख्या 3829 आर/छः-पु0-5-1262/87, दिनांक 11 अक्टूबर, 1995 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शस्त्रों की वैधता सीमा बढ़ाने हेतु शासन को निम्नांकित बिन्दुओं के अनुसार परीक्षण करके अपेक्षित सूचना सहित समुचित प्रस्ताव ही भेजने का कष्ट करें।

(1) मामला शासन को संदर्भित करने के पूर्व आवेदक द्वारा सीमा विस्तार के प्रयोजन हेतु दिये गये प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों की तथा विशेष कर लाईसेसी के व्यापार की जिला स्तर पर भलीभॉति जॉच करा ली जाय तथा आवश्यकतानुसार पुष्टि स्वरूप वॉछित प्रमाण /अभिलेख भी प्राप्त कर लिये जांय। एवं सीमा विस्तार की आवश्यकता वास्तविक एवं औचित्य सहित पाये जाने पर पूर्ण रूप से संतुष्ट होने की दशा में ही शासन को प्रस्ताव भेजा जाय।

(2) चूॅकि लाइसेन्स निर्गत होने के बाद शस्त्र प्राप्त/क्रय कर अंकित कराये बिना लाइसेन्स की उपयोगिता शून्य रहती है अतः प्रस्ताव भेजे जाने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्गत लाइसेन्स पर प्राप्त/क्रय किये गये आग्नेयास्त्र का अंकन अवश्य करा लिया गया हो।

(3) चूॅकि उत्तर प्रदेश तक की सीमा के लिये आग्नेयास्त्र लाइसेन्स निर्गत करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट स्वयं सक्षम है अतः शासन को प्रस्ताव भेजे जाने के पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त लाइसेन्स की वैधता सीमा उत्तर प्रदेश तक अवश्य हो। अन्यथा जिले/मण्डल तक की सीमा वाले लाइसेन्सो की वैधता सीमा पहले उत्तर प्रदेश तक किये जाने के बारे में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विचार किये जाने के बारे में जिला मजिस्ट्रेट

द्वारा विचार किये जाने के बाद ही प्रस्ताव शासन को अग्रेतर सीमा विस्तार हेतु भेजे जाय।

(4) उपर्युक्त अनुसार प्रस्ताव पूर्ण एवं परिपक्व होने के बाद आवेदक द्वारा प्रस्तुत मूल प्रार्थनापत्र (रू01.50 के टिकट सहित), लाइसेंस की छायाप्रति, सीमा विस्तार की आवश्कता की पुष्टि स्वरूप यथोचित प्रमाण /अभिलेख एवं जिला मजिस्ट्रेट की स्पष्ट एवं समुचित आख्या तथा संस्तुति सहित ही प्रकरण शासन को संदर्भित किये जांय।

(5) आवेदक को स्वीकृत अन्य शस्त्र लाइसेंसों, एवं उनकी सीमा का विवरण भी उपलब्ध कराया जाय।

2- बहुधा शासन के उक्त निर्देशों के अनुसार सीमा विस्तार के प्रस्ताव जिला मजिस्ट्रेट से नहीं प्राप्त हो रहे हैं, जिसके कारण उनके निस्तारण में कठिनाई एवं विलम्ब होता है और प्रकरण लम्बित होने के फलस्वरूप विपरीत प्रभाव पड़ता है।

3- अतएव उक्त शासनादेश में वर्णित व्यवस्थाओं के अनुसार सम्यक् परीक्षणोपरान्त आवेदक के व्यवसाय के प्रमाण एवं सीमा विस्तार के समुचित एवं पूर्ण यथोचित प्रस्ताव ही शासन को भेजे जांय। इन आदेशों से जनपद के संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को भलीभॉति अवगत कराते हुये तद्नुसार कार्यवाही हेतु उन्हें निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अतुल कुमार)
संयुक्त सचिव ।